

सं०सं०-11 / टी०वी०(विधि)-99 / 2010(पार्ट).....(11)
स्वास्थ्य निदेशालय,
बिहार, पटना

आवश्यक सूचना

शुद्धि-पत्र

दिनांक-06.09.2018 को दैनिक समाचार पत्रों में माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या-1711 / 2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या-01 / 97 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बी०सी०जी० प्रावैधिकों / बी०सी०जी० दलनायकों की नियुक्ति हेतु अनुशासित परन्तु नियुक्ति से वंचित शेष वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-30.09.2018 तक 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लिए संबंधित उम्मीदवारों का अनुक्रमांक प्रकाशित किया गया था जिसमें टंकण भूल के कारण अनुक्रमांक-46569 के स्थान पर 46559 एवं अनुक्रमांक-43028 के स्थान पर अनुक्रमांक-43020 अंकित हो गया है, जिसे क्रमशः 46569 एवं 43028 पढ़ा जाय। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय शेष अन्य बातें यथावत रहेंगी।

ह० / -

(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11 / टी०बी०(विधि)-99 / 2010(पार्ट)-916(11) पटना, दिनांक- 10/9 / 2018

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10/9/18
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।